ऊर्जा नियामक बोर्ड सही मत प्राप्त करने के लिए इन मतों और दृष्टिकोणों की ओर ध्यान देता है और अपनी चर्चाओं और विचार-विमर्श में बाहर के विशेषज्ञों को शामिल करता है।

जनता में पर्यावरणीय जागरूकता लाने के लिए वित्तीय सहायता

3176. **श्री राम जेठमलानी :** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रदूषण के खिलाफ देश में जागरूकता लाने के लिए और विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए लोगों को शिक्षित करने के लिए देश भर में गैर-सरकारी संस्थाओं को वित्तीय सहायता देने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में इन संस्थाओं में से प्रत्येक को कितनी धनराशि की वित्तीय सहायता दी गई है ; और

(ग) प्रदूषण विरोधी अभियान में लगी संस्थाओं की संख्या कितनी है और वित्तीय सहायता के लिए संस्थाओं के चयन का मापदण्ड क्या है और इसकी प्रक्रिया क्या है ;

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय संबंधी बदरुद्दीन तैयबजी समिति के प्रतिवेदन का कार्यान्वयन

3177. **श्री राम जेठमलानी : :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संबंध में बदरुद्दीन तैयबजी समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या-क्या हैं ;

(ग) क्या इन सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए कोई कार्यक्रम बनाया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस कार्यक्रम को कब तक कार्यान्वित किए जाने की योजना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) और (ख) जी, हां। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कोर्ट ने 10-11 अगस्त, 1987 को हुई अपनी बैठक में विश्वविद्यालय के सभी पाठ्यक्रमों में मुस्लिम छात्रों के लिए प्रवेश में आरक्षण के संबंध में इसके तीन सदस्यों द्वारा प्रस्तावित अलग-अलग प्रस्ताव पर विचार किया तथा यह निर्णय लिया कि प्रस्ताव से संबंधित सभी पहलुओं की जांच करने के लिए कुलपति द्वारा बनी सदस्यों की समिति गठित की जाए। कोर्ट के प्रस्ताव अनुसरण में कुलपति ने इस उद्देश्य के लिए नौ सदस्यों की समिति (तैयबजी समिति) नियुक्त की। समिति का विचार था अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के विशेष स्वरूप को देखते हुए विश्वविद्यालय की प्रवेश नीति अधिक संख्या में मुस्लिम छात्रों को प्रवेश देना होनी चाहिए। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तैयबजी समिति ने निम्नलिखित मुख्य सुझाव दिए हैं ;

(i) कक्षा XI, स्नातक, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम व व्यावसायिक पाठ्यक्रम में 50% सीटें सभी समुदायों से संबंधित छात्रों की समेकित सूची में से योग्यता के आधार पर भरी जानी चाहिए। शेष 50% सीटें उन मुस्लिम छात्रों को छोड़ते हुए, जिनका चयन समेकित सूची में से कर लिया गया है, केवल मुस्लिम छात्रों की सूची में से योग्यता के आधार पर भरी जानी चाहिए।

(ii) कक्षा XI में प्रवेश के लिए योग्यता आवेदक द्वारा अर्हक परीक्षण में प्राप्त अंकों के आधार पर रखी जाए जबकि सभी विषयों में स्नातक